रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102022-239811
CG-DL-E-21102022-239811

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4789] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 21, 2022/आश्विन 29, 1944
No. 4789] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 2022/ASVINA 29, 1944

शिक्षा मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्तूबर, 2022

का.आ. 5006(अ).—जबकि, सेवा या लाभ या सब्सिडी प्रदान करने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार के उपयोग से सरकारी वितरण प्रक्रियाएं सरल बनती हैं, पारदर्शिता और दक्षता आती है, और लाभार्थियों को उनकी पात्रता, सहज और निर्बाध तरीके से सीधे प्राप्त होती है और आधार से किसी की पहचान सिद्ध करने के लिए एकाधिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है;

और जबकि, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), वर्ष 1985 से **नवोदय विद्यालय समिति** (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) की केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम संचालित कर रहा है जिसका प्रयोजन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को उनकी पारिवारिक सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभ्यता, मूल्यों के प्रतिपादन, पर्यावरण जागरूकता, साहसिक गतिविधियां और शारीरिक शिक्षा सहित आवासीय पद्धति में अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करना है।

और जबकि, योजना नवोदय विद्यालय समिति और जवाहर नवोदय विद्यालय (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसियाँ कहा गया है) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

और जबकि, जवाहर नवोदय विद्यालय सह-शिक्षा आवासीय स्कूल हैं, जहां छात्रों को अखिल भारतीय चयन परीक्षा अर्थात् जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 में प्रवेश दिया जाता है। योजना के अधीन शिक्षा के साथ योजना और उसके अधीन जारी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार इन स्कूलों में पढ़ने वाले 10 से 19 वर्ष की

आयु वर्ग के बच्चों को भोजन और आवास, लेखन सामग्री के लिए सहायता और योजना के अधीन लागू अन्य लाभ (जिन्हें इसमें इसके पश्चात प्रसुविधा कहा गया है) प्रदान किए जाते हैं।

और जबकि, इस योजना में भारत की संचित निधि से किया गया आवर्ती व्यय शामिल हैं;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्: -

1. (1) स्कीम के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक बच्चे को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण कराना होगा।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने के इच्छुक किसी भी बच्चे को, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या उसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, योजना के लिए रजिस्ट्रीकरण से पहले अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति से आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो और उस बच्चे को आधार के लिए नामांकन कराने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट: www.uidai.gov.in पर उपलब्ध) पर जाना होगा।

(3) आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से, उन बच्चों को आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करनी अपेक्षित हैं, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुक या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय में अथवा स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा।

परन्तु जब तक बच्चे को आधार आवंटित नहीं किया जाता है, तब तक उसे इस योजना के अधीन प्रसुविधा, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के अध्यधीन प्रदान किए जाएंगे, अर्थात्:

(क) (i) यदि बच्चे का नामांकन (बायोमेट्रिक्स पहचान लेकर) पांच वर्ष की आयु के बाद किया गया तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची, या बायो-मीट्रिक अद्यतन पहचान पर्ची, या;

(ii) बच्चे द्वारा आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; **और**

(ख) बच्चे के निम्नलिखित पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना, अर्थात्:

(i) समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या जन्म का रिकॉर्ड; या

ii) स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित स्कूल पहचान पत्र, समें माता-पिता के नाम हों; और

(ग) योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ संबंध के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना, अर्थात्:

(i) उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र; या जन्म का रिकॉर्ड; अथवा

(ii) राशन कार्ड; अथवा

(iii) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना कार्ड या कर्मचारी राज्य बीमा निगम कार्ड; या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड; अथवा

(iv) पेंशन कार्ड; अथवा

(v) आर्मी कैंटीन कार्ड; अथवा

(vi) कोई सरकारी परिवार पात्रता कार्ड; अथवा

(vii) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परन्तु यह और कि उक्त दस्तावेजों की जांच उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों के जरिए विशेष रूप से नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. बच्चों को योजना के अन्तर्गत सहजता से लाभ प्रदान करने के लिए संबंधित विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा कि बच्चों को आधार की आवश्यकताओं से अवगत कराने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए।

3. जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से बच्चों के आधार का प्रमाणीकरण नहीं होता, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात्:

(i) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण की सुविधा अपनाई जाएगी और विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से निर्बाध तरीके से लाभों के वितरण के लिए फिंगर प्रिंट के साथ-साथ आईरिस स्कैनर या चेहरे के प्रमाणीकरण की व्यवस्था करेगा;

(ii) यदि फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होता है, जहां भी संभव हो और आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा सीमित समय वैधता के साथ प्रमाणीकरण, जैसा भी मामला हो, की व्यवस्था की जाएगी;

(iii) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन-टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के अधीन प्रसुविधा वास्तविक आधार पत्र के आधार पर दिया जा सकता है जिसकी प्रामाणिकता आधार पत्र पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

4. इसमें निहित किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी बच्चे, यदि वह प्रमाणीकरण के माध्यम से या आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करके अपनी पहचान स्थापित नहीं कर पाता या जिसे कोई आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है, को इस योजना के अधीन प्रसुविधा से वंचित नहीं किया जाएगा। नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर ऐसे बच्चे के मामले में उसे पैरा 1 के उप-पैराग्राफ (3) के पंरतुक के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों के आधार पर अपनी पहचान सत्यापित करके प्रसुविधा दी जाएगी, और जहां प्रसुविधा, ऐसे अन्य दस्तावेजों के आधार पर दिए गए हैं, उनका रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से समय-समय पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाएगी।

5. यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी।

[फा. सं. 17-16/2022-यूटी-3]

एल.एस.चांगसन, अपर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2022

S.O. 5006(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Education, Department of School Education and Literacy (*hereinafter referred to as the Department*), is administering the Central Sector Scheme of **Navodaya Vidyalaya Samiti** (*hereinafter referred to as the Scheme*) since 1985 with the objective to provide in-residential mode good quality modern education including a strong component of culture, inculcation of values, awareness of the environment, adventure activities and physical education to the talented children predominantly from the rural areas without regard to their family's socio-economic condition;

And whereas, the Scheme is implemented through Navodaya Vidyalaya Samiti and the Jawahar Navodaya Vidyalayas *(hereinafter referred to as the implementing agencies);*

And whereas, Jawahar Navodaya Vidyalayas are co-educational residential schools in which students are admitted to Class VI through an All-India selection test that is, Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test. Under the Scheme, along with education, benefits such as boarding and lodging, assistance for stationeries and other benefits as applicable under the Scheme (*hereinafter referred to as the benefits*) are given to the children in the age group of 10 to 19 years who are studying in the schools, as per the Scheme and extant guidelines issued under there;

And whereas, the Scheme involves recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) a child desirous of availing the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;

(2) any child desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment, subject to the consent of his or her parents or guardians, before registering for the Scheme, provided that he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such children shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India website: www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;

(3) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing agencies is required to offer Aadhaar enrolment facilities to children who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its implementing agencies shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the child, the benefit under the Scheme shall be given to such children, subject to production of the following documents, namely:-

(a) (i) if the child was enrolled after the age of five years (with biometrics collection), his or her Aadhaar Enrolment Identification slip, or the bio-metric update identification slip, or;

(ii) a copy of the request made for Aadhaar enrolment by the child; **and**

(b) any one of the following documents of identity of the child, namely:

(i) Birth Certificate or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) School identity card, duly signed by the Principal of the school, containing names of parents; and

(c) any one of the following documents as proof of relationship of the child with the parent or legal guardian as per the extant Scheme guidelines, namely:–

(i) Birth Certificate; or Record of birth issued by the appropriate authority; or

(ii) Ration Card; or

(iii) Ex-Servicemen Contributory Health Scheme Card; or Employees' State Insurance Corporation Card; or Central Government Health Scheme Card; or

(iv) Pension Card; or

(v) Army Canteen Card; or

(vi) any Government Family Entitlement Card; or

(vii) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents shall be verified by an officer specifically designated by the Department through its implementing agencies for that purpose.

2. In order to provide benefits to the children under the Scheme conveniently, the Department through its implementing agencies shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through media shall be given to the children to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. Where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the children or due to any other reason, the following remedial mechanism shall be adopted, namely:-

(i) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication and the Department through its implementing agencies shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(ii) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

(iii) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided by the Department through its implementing agencies.

4. Notwithstanding anything contained herein, no child shall be denied benefit under the Scheme in case of failure to establish his identity by undergoing authentication, or furnishing proof of possession of Aadhaar number, or in the case of a child to whom no Aadhaar number has been assigned, producing an application for enrolment, the benefit shall be given to him by verifying his identity on the basis of other documents as mentioned in clauses (b) and (c) of the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, and where benefit is given on the basis of such other documents, a separate register shall be maintained to record the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department through its implementing agencies.

5. This notification shall come into effect in all the States and Union Territories from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 17-16/2022-UT-3]

L. S. CHANGSAN, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.10.21 21:42:15 +05'30'